प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 03.01.2026

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के अपराध में 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास 6000 रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 03.01.2026 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)एसीजेएम0 संतकबीरनगर*** द्वारा 02 अभियुक्तों को मारपीट के मामले में न्यायालय उठने तक का कारावास व 6000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

दिनांक 28.06.2007 को वादी श्री गुलाबचन्द्र पुत्र इन्नल निषाद निवासी भिडौरा पिकौरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर मार पीट के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 87/2007 धारा 323/504/506 भादवि पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. शिवपूजन पुत्र रामअचल, 02. सरोज देवी पुत्री शिवपूजन निवासीगण भिडौरा पिकौरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को जूर्म स्वीकरोक्ति के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अन्तर्गत धारा 323/504/506 भादवि के अपराध के लिए 3000-3000 हजार रुपये अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा से दण्डित किया गया ,अर्थदण्ड अदा न करने पर 30 दिवस का साधारण कारावास भुगतेंगे।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के अपराध में 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास 2400 रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 03.01.2026 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)एसीजेएम0 संतकबीरनगर*** द्वारा 02 अभियुक्तों को मारपीट के मामले में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2400 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

दिनांक 20.06.2001 को वादिनी सीमा कुमारी पुत्री शंकर निवासी शिवबखरी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर मार पीट के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 60/2001 धारा 323/504 भादवि पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. अनिल कुमार, 02. संतोष कुमार पुत्रगण बीजल निवासी शिवबखरी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को जूर्म स्वीकरोक्ति के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अन्तर्गत धारा 323/504 भादवि के अपराध के लिए 1200-1200 रुपये अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा से दण्डित किया गया ,अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का साधारण कारावास भुगतेंगे।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5994 द्वारा ट्रैक्टर व मोटरसाईकिल का आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल–
पीआरवी 5994 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत डमरुबार से कालर द्वारा ट्रैक्टर व मोटरसाईकिल का आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (01.दयालू पुत्र लोदर निवासी कौलपुर थाना मेहंदावल जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल उक्त व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी मेहंदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना मेहंदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर उक्त घायल को ईलाज हेतु सीएचसी मेहंदावल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
***पीआरवी स्टाफ-* का0 हरिशंकर गौंड, का0 प्रवीण कुमार, हो०चा0 मो0 रफीक।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 109 वाहनों से 1,18,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनाँक 03.01.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 109 वाहनों से 1,18,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान

- ***जनपद के समस्त थानों द्वारा 71 स्थानों पर 1451 व्यक्तियों को किया गया चेक ।***
- ***71 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया ।***
- ***25 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही ।***
- ***925 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया ।***

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है । इस दौरान 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 10 स्थानों पर 120 व्यक्तियों को चेक किया गया, 114 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 04 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 02. थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 278 व्यक्तियों को चेक किया गया, 149 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 09 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 03. महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा 05 स्थानों पर 130 व्यक्तियों को चेक किया गया, 70 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 06 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 04. थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 16 स्थानों पर 103 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 64 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 04 शोहदें के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 12 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 05. थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 25 स्थानों पर 310 व्यक्तियों को चेक किया गया, 15 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 270 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 20 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 06 .थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 160 व्यक्तियों को चेक किया गया, तथा 78 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 04 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 07. थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 160 व्यक्तियों को चेक किया गया, 55 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 06 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 04 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 08. थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 02 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 150 व्यक्तियों को चेक करते हुए 85 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 09 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 09. थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 02 स्थानों पर 40 व्यक्तियों को चेक किया गया, 40 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया ।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान

- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 55 स्थानों पर 2481 वाहनों को किया गया चेक ।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 126 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले दो पहिया वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही ।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 04 चार पहिया वाहनों से उतरवायी गयी काली फिल्म ।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 02 चार पहिया वाहनों पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही ।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 05 चार पहिया वाहनों पर शासकीय तथा जाति सूचक शब्द लगे होने पर की गयी कार्यवाही ।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 1215 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी ।*

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी यातायात श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 03.01.2026 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है। जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।